कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक–725 / 14–1 (कैम्प चन्दौसी) दिनांक 26-9-2018

सेवा में,

डिवीजनल मैनेजर,
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
2314, 3rd फ्लोर, टावर 'ए'
ए0–41, सेक्टर–62, नोयडा–201309
उत्तर प्रदेश।

विषयः– सम्भल में आगरा–मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0–93) के निकट किमी0 स्टोन सं0 186 (चैनेज सं0186.180) की दांयी पटरी पर स्थित खसरा संख्या 683 ग्राम अफजलपुर डरौली तहसील चन्दौसी जिला–सम्भल में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आनलाइन प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0 / यू0पी0 / अदर्स / 33049 / 2018 जो प्रभागीय वनाधिकारी सम्भल वन प्रभाग सम्भल के स्तर पर प्राप्त दिनांक 09.05.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्भल में आगरा–मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0–93) के निकट किमी0 स्टोन सं0 186 (चैनेज सं0186.180) की दांयी पटरी पर स्थित खसरा संख्या 683 ग्राम अफजलपुर डरौली तहसील चन्दौसी जिला–सम्भल में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) प्रस्ताव आनलाइन प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0 / यू0पी0 / अदर्स / 33049 / 2018 दिनांक 09.05.2018 जो आपके स्तर से पार्ट–। भरकर पोर्टल पर अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर प्रेषित किया गया है। इस संबंध में आपके द्वारा प्रभागीय कार्यालय में उक्त रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) का प्रस्ताव पांच प्रतियों में दिनांक 18.08.2018 को प्रेषित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, अवलोकन करने पर प्रस्ताव में विभिन्न कमियां पायी गयी है, जो निम्नवत् हैं:–

1. प्रस्ताव में जसटीफिकेशन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव में टोपो शीट मैप संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव में प्रोटेक्टेड फारेस्ट लैण्ड कैलकुलेशन शीट संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव में लोक निर्माण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 लेविस कैलकुलेशन शीट संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव में अन्डर टेकिंग फार ऐबीडिंग विध कन्डीशन इम्पोज्ड वाई लोक निर्माण विभाग शीट संलग्न नहीं है।
7. प्रस्ताव में कैलकुलेशन फार नॉन फारेस्ट लैण्ड शीट संलग्न नहीं है।
8. प्रस्ताव में अपर जिला मजिस्ट्रेट सम्भल का पत्र संलग्न नहीं है।
9. प्रस्ताव में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पूर्ण किये जानी वाली शर्तों का पत्र संलग्न नहीं है।
10. प्रस्ताव में जिलाधिकारी, महोदय, सम्भल द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आप तत्काल उपरोक्त समस्त प्रमाण–पत्र / अभिलेख तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रभाग स्तर से पार्ट–।। अपलोड करने सम्बन्धी अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त प्रस्ताव में विलम्ब होने का मुख्य कारण यह है कि पूर्व में आपके द्वारा आगरा–मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0–93) के निकट किमी0 स्टोन सं0 186 (चैनेज सं0186.180) की दांयी पटरी पर स्थित खसरा संख्या 683 ग्राम अफजलपुर डरौली तहसील चन्दौसी जिला–सम्भल में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के स्थल पर आर0सी0सी0 पोल स्थापित करने का प्रयास किया गया था, जिनकों मौके से हटवाकर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2, 3ए व बी के अन्तर्गत रेंज केस सं0–01 / चन्दौसी / 2017–18 दिनांक 04.04.2017 जारी किया गया था, जिसमें रू0 25000 / – प्रतिकर के रूप में वसूल कर ई–3 नं0–17 / 60 दिनांक 03.08.2018 जारी कर केस को प्रशमित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त कारणों व अभिलेखों के अभाव में ही अभी तक इस प्रभाग से पार्ट–।। संबंधी वांछित कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी है। यदि आप द्वारा तत्काल उपरोक्त प्रमाण–पत्र / अभिलेख इस प्रभाग को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो होने वाले विलम्ब के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

भवदीय,

(डी0के0 चतुर्वेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या– 725 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी0के0 चतुर्वेदी)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।